

इयूश बैंक पंजी

कम्जा सूचना (परिशिष्ट-IV(नियम 8(1))

चूंकि, इयूश बैंक एजी, इंडिया ("बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रदत्त) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दिनांक 14.09.2017 को एक मांग सूचना जारी कर कर्जदार श्री आशीष गुप्ता ("कर्जदार"), श्रीमती वरखा गुप्ता ("सह-कर्जदार") को मांग सूचना प्राप्त करने को तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित बकाया राशि रु. 2,57,320,26.57 (दो करोड़ सत्तावन लाख बत्तीस हजार छब्बीस और सत्तावन पैसे) का पुनर्मूलान करने के लिए कहा गया।

चूंकि कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहा है इसलिए विशेषकर कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम को धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 23 अप्रैल, 2018 को नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अपने पास ले लिया है।

विशेषकर कर्जदार एवं आम जनता को सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ लेनदेन करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन बैंक को बकाया राशि रु. 2,57,320,26.57 (दो करोड़ सत्तावन लाख बत्तीस हजार छब्बीस और सत्तावन पैसे) तथा उस पर ब्याज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण:

आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-397, दूसरा तल, न्यू फ्रेस कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 स्व-स्वामित्व से के साथ कॉमन पैसेज, प्रवेश, सोहौं एवं अन्य आम सुविधाओं के साथ अनुपातिक, गैरविभागित, अविभाज्य और अस्थापनीय निवासी भाग में स्वामित्व अधिकार एवं भवन के साथ आधे छत अधिकार वाली सम्पत्ति जो निमानुसार जुड़े एवं घिरे हैं :

उत्तर में एवं उत्तरकी ओर : प्लॉट नं. 396, दक्षिण में एवं उत्तरकी ओर : प्लॉट नं. 398, पूर्व में उत्तरकी ओर : 15 फॉट चौड़ी सर्विस लेन, पश्चिम में उत्तरकी ओर: 45 फॉट चौड़ी रोड।

हस्ताक्षर

दिनांक: 26.04.2018

स्थान: दिल्ली

विशाल चरण

प्राधिकृत अधिकारी, इयूश बैंक ए.जी.

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली (भूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में

और

सी.पी. नं. 114/1998 में

मैसर्स एनआईटीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स (इंडिया) लि.

(परिसमापनाधीन) के मामले में

अपने दावों के प्रमाण के लिए उपरोक्त नामित कम्पनी के अंशदायी से दावों के आवंत्रण हेतु सूचना का विज्ञापन

उपरोक्त नामित कम्पनी के सभी अंशदायी को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त नामित कम्पनी (परिसमापनाधीन) के विरुद्ध अपने संबंधित निवेश/दावों के संबंध में प्रमाण जमा करने के लिए आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है और सभी दावे/प्रमाण आधिकारिक परिसमापक के पास 18.05.2018 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं या आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली के कार्यालय में डाक द्वारा कथित दावे उपरोक्त निर्धारित तिथि तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए और अपने निवेश/दावे के समर्थन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 529ए एवं 530 के अंतर्गत अपने निवेश/दावे या अन्य कोई हक के समर्थन में मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 के फार्म 66 में रु. 10/- के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अपने निवेश/दावों के समर्थन में शापथपत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपरोक्त कथित कम्पनी (परिसमापनाधीन) का कोई अंशदायी उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने ऋण के प्रमाण या शपथपत्र को आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली के पास जमा कर सकता है और इसके बिना ऐसे किसी भी निवेश/दावे या ऐसे किसी भी हक विलेख के लाभ पर विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त कथित कम्पनी का कोई भी अंशदायी लिखित में अपने प्रमाण, यदि आवश्यक हो, आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली के पास व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ऐसे ऋण/दावे की जांच के संबंध में सूचना में निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित हो सकता है और आगे अपने ऋण या दावे के समर्थन में अपना कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

आज दिनांक 2018, नई दिल्ली

हस्ताक्षर

(डी.के.सिंह)

आधिकारिक परिसमापक

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त

लोकनायक भवन, आठवां तला

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

फोन नं. 24693393